मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
म. प्र. मंत्रालय

क्रमांक सी-6-7/99/3/1,　　　　　　　　　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—विभागीय जांच प्रक्रिया के ज्ञान का अभाव.

संदर्भ :—सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. सी-6-8-96-3-1, दिनांक 22-3-99.

राज्य शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कतिपय विभागों के कुछ प्रकरणों में यह पाया गया कि जांच अधिकारी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का प्रस्तुत कराया जाना) अधिनियम, 1979 तथा उसके प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण महत्वपूर्ण गवाहों का परीक्षण नही किया जा सका.

2. उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का प्रस्तुत कराया जाना) अधिनियम, 1979 में संशोधन कर मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 5-4-97 में प्रकाशित कराया गया है. उक्त संशोधन से जांचकर्ता अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त हो गये हैं कि वह गवाहों को उपस्थित होने के लिये सम्मन जारी कर सकता है.

3. अत: निवेदन है कि अपने अधीनस्थों को उक्त प्रावधानों से अवगत कराते हुए निर्देशों का पालन किया जाय. उक्त संशोधन की प्रति सुलभ-संदर्भ हेतु पुन: संलग्न प्रेषित है.

हस्ता./-

(एम. के. वर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी-6-7/99/3/1　　　　　　　　　　　　　　　　भोपाल, दिनांक 19-4-99

प्रतिलिपि :

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल,
   सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर,
   महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल.
3. सचिव, विधानसभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल.
   राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,

4. मा. मुख्यमंत्रीजी/उप मुख्यमंत्री जी/मंत्रीगण एवं राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश

5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.

6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.

7. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल.

8. रजिस्ट्रार/मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण/जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/रायपुर.

9. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

10. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.

11. अवर सचिव, स्थापना, अधीक्षण, अभिलेख शाखा, मुख्य लेखाधिकारी/पुस्तकालय, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल.

12. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

13. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा 15 की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित कर्मचारी संघों को भेजने हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-

उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208] भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 अप्रैल 1997—चैत्र 15, शक 1919

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 1997

क्र. 3438-इक्कीस-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 29 मार्च 1997 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् १९९७.

मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) संशोधन अधिनियम, १९९७.

[दिनांक २९ मार्च, १९९७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ अप्रैल, १९९७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, १९७९ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) संशोधन अधिनियम, १९९७ है. **संक्षिप्त नाम.**

(२) मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) अधिनियम, १९७९ (क्रमांक १४ सन् १९७९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 4 का लोप किया जाए. **धारा ४ का लोप.**

(३) मूल अधिनियम की धारा ५ में,— **धारा ५ का संशोधन.**

(एक) पार्श्व शीर्ष में शब्द "प्राधिकृत" का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "धारा ४ के अधीन प्राधिकृत किये गये प्रत्येक जांच प्राधिकारी (जो कि—इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकृत जांच प्राधिकारी" के नाम से निर्दिष्ट है) के स्थान पर शब्द "प्रत्येक जांच प्राधिकारी" स्थापित किये जाएं;

(तीन) उपधारा (२), (३) तथा (४) में जहां कहीं भी शब्द "प्राधिकृत" आया हो वहां उस शब्द का लोप किया जाए.

४. मूल अधिनियम की धारा ६ में शब्द "प्राधिकृत" का लोप किया जाए. **धारा ६ का संशोधन.**

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 1997

क्र. 3439-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) संशोधन अधिनियम, 1997 (क्रमांक 16 सन् 1997) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 16 OF 1997.

THE MADHYA PRADESH VIBHAGIYA JANCH (SAKSHIYON KA HAZIR KARAYA JANA TATHA DASTAVEJON KA PESHKARAYA JANA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 1997.

[Received the assent of the Governor on the 29th March, 1997; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 5th Aril, 1997.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Adhiniyam, 1979.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty eight Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 1997.

Omission of Section 4.

2. Section 4 of the Madhya Pradesh **Vibhagiya Janch (Sakshiyon Ka Hazir Karaya Jana Tatha Dastavejon Ka Pesh Karaya Jana)** Adhiniyam, 1979 (No. 14 of 1979) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall be omitted.

Amendment of Section 5.

3. In Section 5 of the Principal Act,—

(i) in the marginal heading the word "authorised" shall be omitted;

(ii) in sub-section (1), for the words, figure and brackets "Every inquiring auhtority authorised under-section (hereinafter referrred to as the "authorised inquiring authority)" the words "Every inquiring authority" shall be substituted;

(iii) in sub-sections (2), (3) and (4), the words "authorised" wherever it occur shall be omitted.

Amendment of Section 6.

4. In Section 6 of the Principal Act, the word "authorised" shall be omitted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1997.